संख्या-17/2024/आई/681281/2024/10-22099/373/2021

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय, उ.प्र.,
सेक्टर-24/3, (वित्तीय प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर)
इन्दिरा नगर, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 02 जुलाई, **2024**

विषय:-पेंशन प्राधिकार पत्र का संशोधन।

महोदय,

निदेशक, कोषागार के पत्रांक-202311-38/को0नि0/समीक्षा बैठक/2023-24 दिनांक 03.11.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि कोषागार से पेंशन आहरित करने वाले पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर वर्ष में एक बार जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं । जिन पेंशनरों के जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि के अन्तर्गत किसी तिथि को मृत्यु हो जाती है तथा उसकी सूचना कोषागार को ससमय प्राप्त नहीं होती है, ऐसे प्रकरणों में पेंशन का भुगतान कोषागार द्वारा जीवित प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि तक किया जाता रहता है, जिसके कारण अधिक भुगतान की स्थिति उत्पन्न होती है । इस संबंध में यह प्रस्ताव किया गया है कि पेंशन प्राधिकार पत्र में यथेष्ट विवरण/सूचना अंकित किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये जायँ।

2- प्रकरण पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि पेंशन प्राधिकार पत्र में यथा स्थान निम्नवत् उल्लेख किया जाय:-

"पारिवारिक पेंशन/जीवन कालीन अवशेष हेतु पात्र परिजनों का यह दायित्व होगा कि पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु की सूचना तत्काल संबधित कोषागार को दे दी जाय । यदि मृत्यु की ससमय सूचना कोषागार को प्राप्त न होने पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान हो जाता है तो उसके बैंक खाते से ऐसी धनराशि का आहरण न किया जाय। यदि धनराशि का आहरण किसी परिजन द्वारा कर लिया जाता है, तो उसे तत्काल कोषागार के संज्ञान में लाते हुए यथास्थिति उसका

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समायोजन कराया जाये । यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो कोषागार को यह अधिकार होगा कि अधिक भुगतान की गयी धनराशि की वसूली सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व बकाये की भांति कर ली जाय।"

3- इन आदेशों के पूर्व निर्गत हो चुके पेंशन प्राधिकार पत्र के धारकों से उपरोक्त आशय की अण्डर टेकिंग प्राप्त कर ली जाय तथा सम्बन्धित पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की पत्रावली में रक्षित कर लिया जाय।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ.प्र., 1018-जवाहर भवन, लखनऊ।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

संजय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।